संख्या-76/2019/1537/22-2-2019-17(468)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 जून, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्णमोहन पाण्डेय पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय, निवासी जनपद-अम्बेडकर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-551/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक दिनांक 20.11.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कृष्णमोहन पाण्डेय पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय, जो ग्राम रामपुर रामगुलाम, थाना-जहांगीरगंज, जनपद-अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जायदाद में आधा हिस्सा लेने को लेकर दिनांक 17.06.2001 को अपनी सौतेली मॉ को तमंचा से गोली मारकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-135/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर के आदेश दिनांक 03.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2007 द्वारा यथावत रखा गया। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि बंदी द्वारा अपनी सौतेली माता की निर्मम हत्या से पूरा गांव भयभीत है तथा कभी भी कोई अप्रिय घटना/अपराध होने, छूटने के बाद पुन: अपराध कारित करने, की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की काटी गयी सजा, अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-18613/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2019 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कृष्णमोहन पाण्डेय (बन्दी संख्या-45142) पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय, निवासी जनपद-अम्बेडकर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-76/2019/1537(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in